

मिसिल सं0 ए-52011/14/2020- स्था0-२/

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना -२ अनुभाग

तृतीय तल (द), सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066.
दिनांक: 24-04-2023

कार्यालय आदेश

केंद्रीय जल आयोग के दिनांक 17-03-2023 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22012(11)/6/2022-स्था0-2 की अनुपालना में कंक्रीट एवं चिनाई बांध अभिकल्प (उ०प० एवं द०) निदेशालय [Concrete & Masonry Dam Design (NW&S) Directorate), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से नर्मदा मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप तथा कंक्रीट एवं चिनाई बांध अभिकल्प (उ०प० एवं द०) निदेशालय से दिनांक 11-04-2023 के कार्यालय आदेश संख्या A-22017/18/2019-CMDD(NWS) DTE-Part(1) द्वारा दिनांक 11-04-2023 (अपराह्न) को कार्यमुक्त होने पर, श्री करण सिंह सैनी (Shri Karan Singh Saini) को उप निदेशक, कंक्रीट एवं चिनाई बांध अभिकल्प (उ०प० एवं द०) निदेशालय के पद से दिनांक 11-04-2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है। उन्होंने दिनांक 17-04-2023 (अपराह्न) को नर्मदा मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल में अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीजीएचएस कार्ड के अलावा श्री करण सिंह सैनी, उप निदेशक के ऊपर कुछ भी देय नहीं है।

(चिरंजीव मृधा)
अनुभाग अधिकारी (स्था0-२)
फोन नं0 011 – 2958 3311

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष (केंद्रीय जल आयोग) के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन प्रबंध), के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता (नर्मदा बेसिन संगठन), केंद्रीय जल आयोग, भोपाल।
4. सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कंक्रीट एवं चिनाई बांध अभिकल्प (उ०प० एवं द०) निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
6. निदेशक, प्रबोधन एवं पुनर्सा निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल।
7. अधीक्षण अभियंता (स०), नर्मदा बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल।
8. श्री करण सिंह सैनी, अधिशाषी अभियंता, नर्मदा मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल।
9. उप निदेशक, डबल्यूपीसी/टीसी/प्रशिक्षण/ई-गवर्नेंस सेल, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
10. अवर सचिव, सीएम&वी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
12. लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
13. डीडीओ-1, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
14. अनुभाग अधिकारी, लेखा-1 अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
15. अनुभाग अधिकारी, लेखा-3 अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को श्री करण सिंह सैनी, उप निदेशक के बेबाकी प्रमाण पत्र के साथ। यह अनुरोध किया जाता है कि श्री करण सिंह सैनी, उप निदेशक का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द अधिशाषी अभियंता, नर्मदा मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल को भेजें।

- 16.अनुभाग अधिकारी, आवृत्ति एवं निर्गम अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 17.सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के लिए।
- 18.सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
